न्यायालय ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद मु.न. 239/2022 अनवान विजयराज बनाम कृष्णकुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19.12.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए निवेदन किया गया कि उक्त अनुवानी प्रकरण दिनांक 21.11.2022 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गई थी जिसमें बाद उक्त पत्रावली पुनः रेस्टोर हुई है। उक्त पत्रावली में अन्य अप्रार्थीगण की तामिल नही हुई है एवं न ही न्यायालय में हाजिर आये है अन्य अप्रार्थीगण की तरफ से मुझे पैरवी की हिदायत नहीं है एवं न ही में उनकी तरफ से पत्रवाली में उपस्थित हूँ। पत्रावली रेस्टोरेशन के बाद अप्रार्थी हाजिर नहीं होने के कारण पुनः तामिल करवायी जाकर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की बहस करतें हुए निवेदन किया गया कि उक्त अनुवानी प्रकरण दिनांक 21.11.2022 को अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया गया था। एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.12.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 बाबत रेस्टोर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.12.2022 को ही प्राप्ती दी गई थी। तत्पश्चात अप्रार्थीगण अधिक्वता लगातार माननीय न्यायालय के सामने अप्रार्थीगण की ओर से पैरवी कर रहे है। दिनांक 19.4.2023 की फर्द अहकाम में अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 3 के फौत होने का कथन अंकित किया गया है एवं दिनांक 17.10.2024 में बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से बहस की गई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.09.2024 को प्रस्तुत अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपनी बहस में उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया था। एवं माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त ही दिनांक 17.10.2024 को आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/4 के वकालतनामा एवं मूल प्रार्थना पत्र की बहस हेतु आगामी पेशी नियत की गई थी। अप्रार्थीगण अधिवक्ता उक्त उनवानी प्रकरण में लगातार अप्रार्थीगण की ओर से हाजिर आ रहे है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं चाहतें है केवल मात्र प्रकरण में देरीना के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं प्रार्थना पत्र अ... धारा 151 सीपीसी का इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने उभयपक्षकारान की बहस ... किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ... द्वारा अधिवक्ता राजूराम बाना द्वारा की जा रही पैरवी के ... में पत्रावली पर कोई आपति दर्ज नही करवाई तथा अप्रार्थी ... अधिवक्ता 1 ता 4 द्वारा पूर्व वकालतनामें पर ही पैरवी की जा रही है इसलिये यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है कि अधिवक्ता को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:51:59 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अप्रार्थी की ओर से पैरवी हिदायत नहीं रही है लिहाजा यह प्रार्थना पत्र न्यायसंगत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 को बार बार आवाजे लगवाई गई परन्तु इनकी ओर से असालतन व वकालनत कोई उपस्थित नहीं आया है। लिहाजा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/4 की ओर से अधिवक्ता राजूराम बाना उपस्थित परन्तु अप्रार्थी की ओर से आज भी वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/4 को जवाब पेश करनें का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली लम्बे समय बहस अंतिम में चली आ रही है। प्रार्थी वकील द्वारा अंतिम बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया जाकर पैरोकारराज स्टेट की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 05.04.2021 व दिनांक 18.04.2022 में अंकित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए दिनांक 05.04.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता अपना जवाब 05.04.2021 को पेश किया गया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.08.2021 को प्रार्थना पत्र वास्ते आपति रिपोर्ट पेश किया गया जो स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 13.04.2022 को उभयपक्षकारान अधिवक्ता की उपस्थिति में फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई है मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। खसरा नंबर 690/398 तादादी 4.27 हैक्टेयर किस्म बारानी सीताराम, विजयराज, गंगाजल नाई निवासी आडसर की सहखातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण सीताराम व विजयराज खसरा नंबर 690/390 अपने खेत में ढाणी बनाकर रहते है। उक्त प्रार्थीगण खसरा नंबर 394 के दक्षिण सीमा से होकर खेत में पहुंचते है। खसरा नंबर394 घुसते समय लोहा का गेट बना रखा है। लेकिन चौडाई कम है। गाडी वगैरहा लेकर नही जा सकते है। खसरा नंबर 394 तादादी 9.09 हैक्टेयर बारानी कृष्ण कुमार, जगदीश पिता रामसिंह जाति जाट सा. बुसाना व राजवीर,ध्यान सिंह पिता फुलसिंह जाति जाट निवासी बुसान तहसील सिवानी की सहखातेदारी में से दक्षिणी की तरफ सीमा चिपते 5 मीटर दिये जाने की अनुशंषा की गई है। जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये है। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 394 में किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 396 में से है जो रास्ता ही सबसे नजदीकी है वही रास्ता प्रर्थीगण के आने जाने का रास्ता है। अप्रार्थीगण के खेत में रास्ता नहीं होने से रास्ता बन्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:51:59 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध 251क का प्रकरण नहीं बनता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से होकर नहीं है। जो प्रार्थीगण ने रास्ता का वर्णन किया है वो आवश्यकता का न होकर सुविधाजनक रास्ता मांगा गया है जो दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण के पास पहले से ही खसरा नंबर 396 में से रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण के पास पहले से रास्ता होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा मांगा जा रहा रास्ता आवश्यकता का न होकर सुविधा के अनुसार मांगा जा रहा है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थीगण के पास अन्य रास्ता होने के कारण रास्ता दिया नहीं जा सकता। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न जो प्रस्तावित रास्ता अंकित किया है जिसके संबंध में मौके की रिपोर्ट नहीं होने एवं प्रार्थीगण द्वारा सुविधाजन रास्ता मांगे जाने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05.04.2021 व दिनांक 18.04.2022 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता का है एवं धारा 251(क) संक्षिप्त विचारण मामला है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण के खसरा नंबर 690/398 तादादी 4.27 हैक्टेयर वाकेरोह आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 394 की दक्षिणी सीमा के पास पास से 235 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 394 में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व 3/1 से 3/4 एवं 4 के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 394 में से 1175 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जायगी जिसका डी.एल.सी दर 647929 प्रति हैक्टेयर से 76132 की दुगनी प्रतिकर राशि 1,52,264/—रूपये प्रार्थी से अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 2, 3/1 से 3/4 व 4 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार उक्त प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थीगण के नाम निर्णय के 15 दिवस में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2, 3/1 से 3/4 व 4 के खेत खसरा नम्बर 394 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 23.12.24 2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:51:59 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ(बीकानेर)